झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

<u>डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1263 वर्ष 2017</u>

गोपाल कुमार राम .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य।
2. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति, कोडरमा, डाकघर, थाना एवं जिला–कोडरमा।
3. अनुमण्डलीय वन अधिकारी, कोडरमा वन डिवीजन, डाकघर, थाना एवं जिला–कोडरमा।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन</u>**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– एस0सी0–VI के ए0सी0

आदेश

निर्णय सुरक्षित–15.05.2019 उद्घोषण की तिथि–14.06.2019

10/14.06.2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह आवेदन दायर करके, याचिकाकर्ता जिला अनुकंपा समिति, कोडरमा द्वारा दिनांक 04.02.2017 को पारित आदेश के उस हिस्से को रद्द करने की प्रार्थना कर रहा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता

अपने पिता, भुतपूर्व माली, गोविंद राम, जो कोडरमा वन प्रभाग में काम कर रहे थे, की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर उसे नियुक्त करने की प्रार्थना किया है।

2. याचिकाकर्ता के पिता गोविंद राम झारखण्ड राज्य के एक स्थायी कर्मचारी थे और कोडरमा के जिला वन कार्यालय में माली के रूप में काम कर रहे थे। उनकी मृत्यु 05 अप्रैल, 2009 को सेवाकाल में हो गई (याचिकाकर्ता के अनुसार, अनुलग्नक–1 में 28.12.2012 गलत रूप में उल्लिखित)। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया। उक्त आवेदन पर जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 01.03.2014 को विचार किया गया था। इस पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता मैट्रिक पास नहीं था, इसलिए उसकी उम्मीदवारी पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मैट्रिक पूरा करने के बाद अक्टूबर, 2016 के कोई दिन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक नया आवेदन दायर किया। कथित आवेदन पर विचार किया गया और 04.02.2017 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसका आवेदन कालबाधित है क्योंकि इसको कर्मचारी गोविंद राम की मृत्यु की तारीख से 5 (पांच) साल से अधिक समय के बाद दायर किया गया था।

3. अस्वीकृति के उक्त आदेश को यहाँ चुनौती दी गई है।

4. श्री शैलेश, याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपना पहला आवेदन 1 मार्च, 2013 को दाखिल किया, जो तीन वर्षों के भीतर

है। वह प्रस्तुत करते हैं कि उसका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वह गैर–मैट्रिक था। वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने, अपनी मैट्रिक पूरी करने के बाद, 22.10.2016 को नया आवेदन दायर किया, जिसे काल बाधित के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि परिसीमा अवधि की गणना के लिए जिस तारीख को याची ने पहली बार आवेदन किया था, अर्थात्, 01.03.2013 से गणना करना चाहिए। वह प्रस्तुत करते हैं कि 22.10.2016 दिनांकित उसके दूसरे आवेदन को उसके पहले आवेदन के क्रम में माना जाना चाहिए, इस प्रकार, याचिकाकर्ता के दावे को कालबाधित के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

5. राज्य के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता का पहला आवेदन 01.03.2014 को अस्वीकार कर दियाा गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 22.10.2016 को दूसरा आवेदन दायर किया, जो वास्तव में एक नया आवेदन है और अपने पिता की मृत्यु की तारीख से 5 (पाँच) साल के बाद उसने इसे दाखिल किया है, जोकि सरकार की योजना के अनुसार सीमा द्वारा वर्जित है।

6. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं पाता हूँ कि इस मामले में तथ्य स्वीकार किए गए हैं। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 05 अप्रैल, 2009 को हो गई। याचिकाकर्ता ने 01.03.2013 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया। कथित आवेदन को 01.03.2014 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता गैर–मैट्रिक था। यह स्वीकृत है कि 01.03.2014 को याचिकाकर्ता एक गैर–मैट्रिक था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि जिस तारीख को याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, अर्थात्

01.03.2013 को, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिएए परिपत्र में यह प्रावधान किया गया था कि दोवदार को मैट्रिक पास होना चाहिए। इस प्रकार, अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं थी।

7. याचिकाकर्ता ने अपनी मैट्रिक पूरी करने के बाद 22.10.2016 को एक नया आवेदन दाखिल किया। उसको आक्षेपित आदेश द्वारा कालबाधित के रूप में खारिज कर दिया गया था। स्वीकृत रूप 22.10.2016 का आवेदन कालबाधित है क्योंकि योजना में एक विशिष्ट खंड है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन मृत्यु की तारीख से 5 (पाँच) वर्षों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि परिसीमा की गणना के लिए पहले आवेदन देने के समय से विचार किया जाना चाहिए, को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहले आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं थी। एक बार दावे को खारजि और अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कथित अस्वीकृति को स्वीकार कर लिया था और किसी भी समय उसे चुनौती नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने 22.10.2016 को एक नया आवेदन दायर किया और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इस आवेदन को एक नया आवेदन माना जाना चाहिए। नया आवेदन, स्वीकृत रूप से, उसके पिता की मृत्यु की तारीखा से 5 (पाँच) वर्षों के बाद दाखिल किया गया है। इस प्रकार, सरकार के परिपत्र के अनुसार, यह कालबाधित है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दूसरा आवेदन इस कारण से पहले वाले के क्रम में नहीं कहा जा सकता है कि वह एक तर्कसंगत

आदेशस द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत स्वीकार कियाा गया था।

8. इस प्रकार, मुझे इस रिट आवेदन में कोई योग्यता नहीं लगती है और आक्षेपित आदेश को मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(आनंदा सेन, न्याया0)